न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्याः— 04/2022
दायर दिनांकः— 03.03.2022
निर्णय दिनांकः— 12.04.2022

उनवान

1. विनोद पिता उदयलाल कलाल निवासी भूपालसागर
2. सायरीबाई पत्नी उदयलाल कलाल निवासी भूपालसागर
3. जसराज पिता पारसमल उर्फ उंकारलाल कलाल निवासी भूपालसागर
4. सीमाबाई पत्नी पारसमल उर्फ उंकारलाल निवासी भूपालसागर
5. ज्योति पुत्री पारसमल उर्फ उंकारलाल निवासी भूपालसागर
6. नंदिनी पुत्री पारसमल उर्फ उंकारलाल निवासी भूपालसागर
7. भावना पुत्री पारसमल उर्फ उंकारलाल निवासी भूपालसागर

प्रार्थी

बनाम

1. लक्ष्मण पिता वेणा गाड़री निवासी भूपालसागर
2. मोहन पिता वेणा गाड़री निवासी भूपालसागर
3. नन्दलाल पिता वेणा गाड़री निवासी भूपालसागर
4. सुनील पिता बसन्तीलाल रांका निवासी भूपालसागर
5. अनिल पिता बसन्तीलाल रांका निवासी भूपालसागर
6. अरविन्द पिता बसन्तीलाल रांका निवासी भूपालसागर
7. सम्पत पिता हीरालाल चण्डालिया निवासी भूपालसागर
8. कमल पिता अशोक कुमार अग्रवाल निवासी भूपालसागर

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

: निर्णय :

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी की जाने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया। वकील प्रार्थी हाजिर। अप्रार्थीगण हाजिर नही। बार—बार आवाजे लगाई गई फिर भी अप्रार्थीगण की तरफ से कोई हाजिर नही हुआ। इस कारण अप्रार्थीगण के विरूध एक तरफा कार्यवाही की गई। वकील प्रार्थी ने बहस प्रार्थना पत्र हेतु निवेदन किया जिसे स्वीकार किया जाकर बहस सुनी गई। अतः वकील प्रार्थी की बहस एंव पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र अर्न्तगत धारा—128 **एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी** का स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भूपालसागर को 500— रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि मौजा भूपालसागर पटवार हल्का भूपालसागर तहसील भूपालसागर की आराजी संख्या 1216 0.25 है., आ.सं. 1220 रकबा 0.05 है., आ.सं. 1221 रकबा 0.47 है. कुल किता 3 कुल रकबा 0.77 हैक्टेयर भूमि में उभयपक्षकारान को जरिये सम्मन नोटिस तलब करवाकर अपने नेतृत्व में सीमांकन की टीम गठित कर चारों दिशाओं की पुख्ता पत्थर[illegible]र्यवाही करे। अगर मौके पर कोई विवाद न हो अथवा मौके पर फसल [illegible] एवं कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर [illegible] फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करे साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि किसी भी न्यायालय में कोई प्रक[illegible] विचाराधीन नहीं हो। इस आशय बाबत तहरीर जारी हो। पत्रावली फै[illegible] शुमार होकर नम्बर से क[illegible] होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.04.2021 को खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

(भावना सिंह)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर

उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर
जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.04.20 11:58:56 IST
Reason: SelfAttested